


**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)  
 Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)  
 ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001

फोन/Phone: 022- 22660502



11 मार्च 2022

**भारतीय रिज़र्व बैंक ने एम.एल. सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर (म.प्र.)  
पर मौद्रिक दंड लगाया**

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 11 मार्च 2022 के आदेश द्वारा एम.एल. सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर (म.प्र.) (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी '[गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी \(रिज़र्व बैंक\) निदेश, 2016](#)' में निहित गैर-निष्पादित आस्तियों के वर्गीकरण संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में कंपनी की विफलता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

### पृष्ठभूमि

31 मार्च 2019 को कंपनी की वित्तीय स्थिति के आधार पर इसके निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला है कि कंपनी ने आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अननुपालन किया है। उक्त के आधार पर कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए।

कंपनी के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1851